

**20.12.16**

वादी द्वारा पुकार लगाये जाने पर कोई उपस्थित नहीं।  
प्रतिवादी एकपक्षीय है।  
प्रकरण एकपक्षीय वादी साक्ष्य हेतु नियत है।  
वादी साक्ष्य अनुपस्थित है।  
सांय 5 बजे तक वादी की ओर से कोई उपस्थित न होने के  
परिणामस्वरूप आदेश 17 नियम 3(बी), 2 सीपीसी के अधीन अग्रेषित होते  
हुए आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के अधीन वाद वादी व प्रतिवादी की  
अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।  
व्यय तालिका बनाई जाये।  
प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

सही /—  
(गोपेश गर्ग)

1-सी0जे0-2, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)